यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार मौर्य, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2021 से 23.02.2021 तक श्री आर. एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वियज कुमार मौर्य लेखापरीक्षक एवं श्री सिराज हुसैन व श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.07.2019 से 06.08.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन संरक्षण एवं संवर्धन।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	101.03
2018-19	209.50
2019-20	474.35

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	682.60	678.68	154.59	149.57	-	3.92	5.02
2018-19	8.95	8.95	250.21	240.17	-	0.001	10.04
2019-20	83.57	78.27	286.01	280.20	-	5.30	5.80

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा. आ.**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (%)**
2019-20	नमामि गंगे परियोजना	-	40.00	40.00	0.00
	प्रोजेक्ट ऐलीफैंट	-	16.95	16.75	0.20
	प्रोजेक्ट टाइगर	-	53.77	53.75	0.019
	इन्टेसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	7.18	7.16	0.024

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 06/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 : वन विकास निगम द्वारा निर्धारित धनराशि ₹ 15.34 लाख नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में जमा नहीं किया जाना।

प्रस्तर-02 : निर्धारित राजस्व लक्ष्य से धनराशि रू 325.79 लाख कम राजस्व प्राप्त होना।

प्रस्तर-03: पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में वन संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य सम्पादित न होना।

प्रस्तर-04 : वन मार्ग से प्राप्त राजस्व का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए न किया जाना।

प्रस्तर-05 : राजस्व की वसूली लम्बित रहना ₹ 7.47 लाख।

प्रस्तर-06 : कार्मिको के EPF/ESI अंशदान ठेकेदार द्वारा जमा किए जा रहे हैं अथवा नहीं सत्यापन नहीं किया जाना।

प्रस्तर-07 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 5.84 लाख

प्रस्तर-08 : निगम के द्वारा आवंटित लौटों का दौहन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 62.87 लाख का राजस्व अप्राप्त रहना।

प्रस्तर-09 : वन विकास निगम के द्वारा जमा धनराशियों का मिलान एवं जमा धनराशियों का उपयोग नहीं किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-01 : वन विकास निगम द्वारा निर्धारित धनराशि ₹ 15.34 लाख नियमानुसार जिला खनिज फाउंडेशन में जमा नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख /16 देहरादून दिनांक 17 नवंबर, 2017 (उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017) के अनुसार **यह दिनाँक 12 जनवरी, 2015 को प्रबृत हुई समझी जायेगी। यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी। उल्लिखित नियमावली के नियम 10 (2) के अनुसार समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।** उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1998/VII-1/2016/80-ख /16 देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार भी **पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा करेंगे। इसके** परिप्रेक्ष्य में वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्र के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन, कोटद्वार द्वारा वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्रों से उपखनिज की निकासी के मात्रा पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराया जाना था। लेकिन वन विकास निगम के द्वारा प्रश्नगत धनराशि मात्र वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का ही जमा किया गया था। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का ₹1533539.37 वन विकास निगम द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं किया गया था, जिसका विवरण निमन्वत है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल उपखनिज की मात्रा (कुंतल में)**	**प्रति कुंतल निर्धारित रॉयल्टी रु.7.0 का 25% (प्रति कुंटल रु.1.75) जिला खनिज फाउंडेशन की धनराशि**
1	2	3	4 (3x1.75)
1	2016-17	425155.60	744022.30
2	2017-18	451152.610	789517.07
3	2018-19	315518.75	552157.81
4	2019-20	405070.150	708872.76
	कुल जिला खनिज फाउंडेशन निधि में जमा योग्य धनराशि		2794569.94
	खनन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का जिला खनिज फाउंडेशन निधि की धनराशि वन विकास निगम के द्वारा जमा की जा चुकी है		(-)1261041
	अवशेष खनन वर्ष2016-17 एवं 2017-18 का जिला खनिज फाउंडेशन निधि की धनराशि जमा किया जाना है		1533528.94

उक्त विवरण पत्रानुसार वन विकास निगम के द्वारा प्रश्नगत धनराशि जमा किया जाना था। लेकिन वन विकास निगम के द्वारा धनराशि जमा नहीं किया गया है। उक्त विवरण के अनुसार ₹15.34 लाख वसूला नहीं गया था। और नियमानुसार इस राशि पर ब्याज भी देय है।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "शीघ्र ब्याज सहित वसूली की जाएगी"।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-02 : निर्धारित राजस्व लक्ष्य से धनराशि ₹325.79 लाख का कम राजस्व प्राप्त होना।

कार्यालय प्रभागीय वानधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार को वर्ष 2019-20 में ₹800.14 लाख का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था| जिसके सापेक्ष ₹475.25 लाख राजस्व ही प्राप्त किया जा सका | इस प्रकार ₹324.89 (मदवार विवरण संलग्न है) लाख राजस्व कम प्राप्त हुआ|

लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि प्रभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित लक्ष्य अधिक था जिसे न्यून करने हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया गया, किन्तु लक्ष्य न्यून न होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति न की जा सकी | इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रभाग द्वारा लक्ष्य को कम किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, और विगत वर्ष 2017-18, 2018-19 में राजस्व लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया गया था परन्तु वर्ष 2019-20 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम प्राप्त किये जाने से ₹325.79 लाख की हानि हुई जो 40 प्रतिशत कम थी।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति का विवरण

(धनराशि रुपयेहजार में)

क्रम संख्या	**मानक मद**	**निर्धारित लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**अन्तर (3-4)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
01 वानिकी-101 लकड़ी और वन उत्पादन की बिक्री				
1.	04-0401 घास व गौण सरकारी अभिकरणों द्वारा	50	135	(-)85
2.	07-वन निगम के माध्यम से लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से प्राप्ति	40961.902	35228.276	5733.626
800 अन्य प्राप्तियाँ				
3.	02-जुर्माना एवं जब्तियाँ	1683.958	4437.440	(-)2753.482
4.	03-प्रत्यार्पण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि	32094.913	6998.938	25095.975
5.	04-भवनों तथा उपस्कर का किराया	130.937	44.215	86.722
6.	0700-पौधों की बिक्री से आय	92.178	446.472	(-)354.294
7.	99-अन्य प्राप्तियाँ	5000	234.275	4765.725
योग		**80013.888**	**47524.616**	**32489.272**

भाग-II (ब)

प्रस्तर-03: पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में वन संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य सम्पादित न होना।

कार्यालय के स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में वन आरक्षी के स्वीकृत पदों की संख्या 88 है, जिसके सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 18 है, अत: कुल 70 (कुल80 प्रतिशत) पद रिक्त है|वन विभाग के वन संरक्षण एवं संवर्धन कार्य, जैसे कि वनों की अग्नि से रक्षा, लेंटाना उन्मूलन, वन्यजीवों की रक्षा, अवैध खनन रोकना, अवैध शिकार, वन भूमि अतिक्रमणएवं भूमि संरक्षण कार्य आदि, का सुचारू रूप से संपादन नही किया जा रहा था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण राजकीय कार्यों के संपादन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में उच्च स्तर पर पत्राचार किया गया है| इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उच्चाधिकारियों के द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक रिक्त पदों पर नियुक्ति नही की गयी थी| इस प्रकार कर्मचारियों के अभाव में वन संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य सम्पादित नही हो पा रहा था।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर-04 : वन मार्ग से प्राप्त राजस्व का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 660/X-2-2017-19(3)/2014 दिनांक 31.03.2017 द्वारा कोटद्वार क्षेत्र की समस्याओ के संबंध में दिनांक 01.06.2016 में निर्णय लिया गया था कि चिल्लरखाल - लालढाँग वन मोटर मार्ग में व्यवसायिक वाहनो के आवागमन की अनुमति दी गयी थी। जिसमें यह निर्णय भी लिया गया था कि इस प्रकार अर्जित/वसूली गयी धनराशि का 50 प्रतिशत लैंसडाऊन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा वन्य जीवो (हाथी इत्यादि) कि सुरक्षा हेतु व्यय किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत लैंसडाऊन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत / सुधार एवं अन्य कार्यों हेतु व्यय किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से मार्च 2020 तक रु0 30,10,650/= निम्नवत प्राप्ति की गई थी:

वर्ष	**प्राप्ति**	**अधतन प्राप्ति**
2017-18	21,45,960=	21,45,960=
2018-19	7,92,970=	29,38,930=
2019-20	71,720=	30,10,650=

उक्त राशि वन जमा में अप्रयुक्त (parkingof funds) पाई गयी । धन संग्रहण का उद्देश्य 50 प्रतिशत वन्य जीवो (हाथी इत्यादि) की सुरक्षा एवं शेष 50 प्रतिशत मार्ग की मरम्मत / सुधार में उपयोग नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि संग्रहीत धनराशि यथाशीघ्र वन राजस्व में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था राशि का उपयोग वन मार्ग निर्माण एवं वन्य जीवो की सुरक्षा के लिए निर्धारित अनुपात में किया जाना था न की राजस्व में जमा करना था।

अत: वन मार्ग से प्राप्त राजस्व ₹30.10 लाख का उपयोग निहित उद्देश्यों के लिए न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II(ब)

प्रस्तर-05 : राजस्व की वसूली लम्बित रहना ₹ 7.47 लाख।

प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वन निगम के विरुद्ध ₹17,04,671/= का बकाया था। वन निगम के विरुद्ध बकाया में ₹7,47,110/= उत्तराखंड गठन के बाद की राशि है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	**बकाया धनराशि (₹ में)**
2003-04	48287/=
2004-05	32,800/=
2017-18	66,741/=
2018-19	5,99,282/=
योग -	747110/=

इस प्रकार,विगत वर्ष के अवशेष राजस्व बकाया वसूल न किए जाने से ₹7.47 लाख पर दंडक ब्याज भी आरोपित किया जाना था, जिसे लेखा परीक्षा तिथि तक वसूल नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि अवशेष धनराशि मय ब्याज के वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अत: ₹7.47 लाख के अवशेष राजस्व की वसूली लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर-06 : कार्मिको के EPF/ESI अंशदान ठेकेदार द्वारा जमा किए जा रहे हैं अथवा नहीं सत्यापन नहीं किया जाना।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रभाग में बाह्य एजेन्सी (UjjawalLabour Contractor Co-operative Society Ltd) द्वारा वर्तमान में प्रभाग व प्रभाग के अन्तर्गत रेंजों के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध करायी जा रही थी। विभाग द्वारा Electronic Challan cum Return (ECR) उपलब्ध कराया गया उपलब्ध ECR में TRRN का उल्लेख नहीं पाया गया एवं माह October 2019 एवं September 2019 में 22 कार्मिको का वेतन आहरित किया गया है परंतु मात्र 17 कार्मिको नाम ही ECR में उल्लिखित था जो प्रभाग के अंतर्गत सेवा दे रहे थे। पुनः TRRN नंबर उपलब्ध न होने से ज्ञात नहीं हो रहा था कि सभी राशि कार्मिको के EPF अंशदान में जमा हो रही है अथवा नहीं। ECR के अनुसार एवं शेष कर्मचारियों के भी अंशदान वास्तव में संबन्धित कार्मिको के EPF व ESI जमा किए जाने के अभिलेख,TRRN नंबर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करने की व्यवस्था करने के लिए कहे जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि लेखा परीक्षा द्वारा मांगे गए सभी अभिलेख सेवा प्रदाता से प्राप्त कर उपलब्ध करा दिये जाएगें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था विभाग को संबन्धित कार्मिको के EPF/ESI मद में जमा की गयी धनराशि का सत्यापन समय समय पर कराया जाना चाहिए था।

अत: EPF/ESI सत्यापन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-07 : लैनटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 5.84 लाख

विभाग मे प्रचलित पद्धति के अनुसार किसी भी लैनटाना प्रभावित क्षेत्र से लैनटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योकि प्रथम वर्ष लैनटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि मे उपलब्ध लैनटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के सम्पर्क में रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं | जिनके उन्मूलन के पश्चात लैनटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है इसी कारण से विभाग द्वारा लैनटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता हैं|

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग लैन्सडोन, कोटद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में लैनटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम उपचार तथा उन्मूलन हेतु कोटद्वार, दुग्गड़ा, लालढ़ांग एवं कोटडी राजि॰ के स्थल पापीडांडाखाम,उ.कोटडी कक्ष संख्या 25अ, अगोरिया क0स0-1, दबीना क0स0-25, मालन-2अ, मालन-2अ, गिवई1, पनियाली-1 के 104॰50 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर रू 5॰84 लाख का व्यय किया गया इन क्षेत्रों में द्वितीय वर्ष 2018-19 एवं तृतीय वर्ष 2019-20 में उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया | जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष उपचार पर किये गये व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लैनटाना पुन: उगकर क्षेत्र कि पारिस्थिति को प्रभावित करेगा | अतएव प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के दौरान लैनटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरूप ₹ 5॰84 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि आवश्यकतानुसार धनराशियाँ आवंटित न होने के कारण लैनटाना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा लैनटाना से प्रभावित क्षेत्र द्वितीय, तृतीय बार उपचार न किये जाने से उक्त उदेश्य की पूर्ति नही हो सकी, जिससे ₹ 5.84 लाखका व्यय निष्फल रहा |

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं |

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-08 : निगम के द्वारा आवंटित लौटों का दौहन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 62.87 लाख का राजस्व अप्राप्त रहना।

प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय के द्वारा वर्ष 2019-20 में वन विकास निगम को आवंटित/जारी लौटों में से निम्न 05 लौटो को वापस किया गया-

क्रम सं	**लौट सं**	**प्रकाष्ठ घन मीटर में**	**धनराशि**
1	4	21.834	280928
2	5	69.896	1548033
3	8	44.002	904429
4	9	148.676	2133254
5	10	74.848	1420258
	योग	**359.256**	**6286902**

उक्त विवरण के अनुसार यदि वन विकास निगम के द्वारा आवंटित लौटो का पातन किया जाता तो विभाग को ₹62.87 लाख की रॉयल्टी प्राप्त होती। वन विकास निगम के द्वारा वे सभी आवंटित लॉटों में दौहन का कार्य किया गया जो सुगम स्थानों में थी। लेकिन वे सभी आवंटित लॉटो जो दुर्गम स्थानों में थी उनमे प्रकाष्ठों का कटान/दोहन नहीं किया गया था, जिस कारण से वांछित राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। अर्थात ₹62.87 लाख राजस्व प्राप्त नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वन विकास निगम को आवंटित लॉटों का कटान/ दोहन नहीं किए जाने पर कार्यवाही की गई। विभाग ने बताया कि “हाँ, पत्राचार किया जाएगा”। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा यथौचित कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹62.87 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी। अतः निगम के द्वारा आवंटित लौटों का दोहन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹62.87 लाख का राजस्व प्राप्त न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-09 : वन विकास निगम के द्वारा जमा धनराशियों का मिलान एवं जमा धनराशियों का उपयोग नहीं किया जाना।

शासनादेश सं. 1286(A)/X-4-15/2(41)/2015 दिनांक 05 जनवरी 2016 के अनुसार उपखनिज चुगान से सम्बन्ध वन क्षेत्र में वन एवं वन्य-जीव प्रबंधन व संरक्षण हेतु "स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन किया गया था। वन विकास निगम द्वारा उपखनिज के चुगान से अर्जित शुद्ध लाभ की 50 प्रतिशत धनराशि से "मालन नदी स्पेशल परपज व्हीकल" गठित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "मालन नदी स्पेशल परपज व्हीकल" में जमा धनराशि का उपयोग मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा। उक्त निधि की धनराशि से खनन से प्रभावित क्षेत्र के निकटवर्ती वनों में समस्त कार्य वन्य जीव है बिटेट के ईको-पुर्न स्थापना के उद्देश्य से किए जाएंगे जिनमे खरपतवार उन्मूलन, बृक्षारोपण (20 प्रतिशत फल पौधों का अनिवार्य रूप से), जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, अग्नि नियंत्रण कार्य, शोध कार्य तथा वन सुरक्षा एवं संचार आदि कार्य कराये जाने थे। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार किया जाना था। CAMPA हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि से ब्यय की गई धनराशियों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.02.2021 के अनुसार पासबुक में ₹667525.60 जमा है, जिसके सापेक्ष कोई कार्य नहीं कराया गया है। अर्थात धनराशि अवरुद्द रखी गयी है। अभिलेखों में वन निगम को अर्जित मासिक लाभ का कोई विवरण नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वन विकास निगम के द्वारा जमा धनराशि अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत के समान है या नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कि क्या "मालन नदी स्पेशल परपज व्हीकल" गठन के पश्चात निधि में जमा धनराशियों का विवरण तैयार कर मिलान किया गया कि जो धनराशि जमा की गयी थी वह निगम के कुल लाभ का 50 प्रतिशत है कि नहीं विभाग ने उत्तर में बताया कि "विवरण तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं धनराशि का मिलान कर सूची प्रस्तुत की जाएगी" विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि वन विकास निगम के द्वारा जमा धनराशियों का कोई मिलान नहीं किया जाता है। और जमा धनराशियों का भी उपयोग नहीं किया गया है।

अतः वन विकास निगम के द्वारा जमा धनराशियों का मिलान एवं जमा धनराशियों का उपयोग नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
38/2010-11	-	01	-
48/2014-15	-	01,02,03	01
19/2016-17	01	01	-
51/2019-20	01	01,02,03,04,05	-

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
24/169/2004-05	-	01,02,03,04	-
17/2010-11	01,02	-	-
38/2011-12	01	01,02	-
48/2014-15	-	01,03	-
19/2016-17	-	01,02,03,04,05	-
103/208-19	01	01,02,03,04	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री वैभव कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री अखिलेश तिवारी	तदैव
3	श्री दीपक सिंह	तदैव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV